लूट और चेन छिनतई को अंजाम देने में बढ़ा इस्तेमाल

बिना नंबर की बाइक अपराधियों का हथियार

विशेष

- पहचान छिपाने के लिए अपराधी कर रहे हैं कवायद
- 30 से अधिक मामलों में सामने आया कनेक्शन
- सीसीटीवी में बाइक कैद होने के बाद भी पहचान मुश्किल

> कई मामलों में चोरी की बाइक या नंबर प्लेट में छेड़छाड़ के मामले सामने आए हैं। ऐसे वाहनों की पहचान कर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
> -ललित मीणा, सिटी एसपी

जमशेदपुर, संवाददाता। शहर में बिना नंबर की बाइक अपराधियों के लिए पहचान छिपाने का आसान जरिया बन गई है। लूट, छिनतई और दूसरी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए अपराधी ऐसी बाइक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि सीसीटीवी कैमरों में वाहन की पहचान मुश्किल हो जाए।

पुलिस की जांच में पिछले छह महीने में 30 से अधिक घटनाओं में बिना नंबर की बाइक के इस्तेमाल की बात सामने आई है। अपराधी हेलमेट पहनकर वारदात करते हैं और बिना नंबर की बाइक से फरार हो जाते हैं। इससे सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद भी पुलिस के लिए वाहन की पहचान करना चुनौती बन जाती है।

अपराधी केवल बिना नंबर की बाइक का ही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। चोरी की बाइक और फर्जी नंबर प्लेट लगी बाइक भी आपराधिक घटनाओं में इस्तेमाल की जा रही हैं। चोरी की बाइक पर दूसरे वाहन का नंबर लगाकर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया जाता है। जांच के दौरान नंबर की पड़ताल करने पर बाइक किसी दूसरे वाहन के नाम पर दर्ज मिलती है।

पुलिस का मानना है कि आपराधिक घटनाओं में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की पहचान के लिए वाहन जांच और सख्त करने की जरूरत है। इसी को देखते हुए बिना नंबर की बाइक, संदिग्ध नंबर प्लेट और बिना कागजात वाले वाहनों पर विशेष नजर रखी जा रही है। प्रमुख चौक-चौराहों और संवेदनशील इलाकों में वाहन जांच के दौरान ऐसे वाहनों की पड़ताल की जा रही है।

तकनीकी साक्ष्यों से अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश

सिटी एसपी ललित मीणा ने बताया कि अपराधी वारदात के लिए अक्सर ऐसी बाइक चुनते हैं, जिस पर नंबर प्लेट नहीं लगी होती है। घटना के बाद वाहन का नंबर नहीं मिलने से उसके मालिक तक पहुंचने में समय लगता है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज, वाहन के हुलिए और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अपराधियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है।

दिव्यांग कोच में बैठने पर दिखाना होगा आधार कार्ड

- सामान्य टिकट पर सफर करने वाले दिव्यांग यात्रियों के लिए नई व्यवस्था
- सुरक्षा को लेकर सख्ती बिना प्रमाणपत्र वाले यात्रियों की पहचान होगी आसान

जमशेदपुर, वरीय संवाददाता। रेलवे बोर्ड ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर नया आदेश जारी किया है। अब ट्रेनों की दिव्यांग कोच में बैठने के लिए आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। जिन दिव्यांग यात्रियों के पास रेलवे द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाणपत्र नहीं है, उन्हें आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा।

ट्रेन टिकट निरीक्षक या स्टेशन सुरक्षा गश्त के जवान किसी भी समय दिव्यांग कोच में पहचान पत्र की जांच कर सकते हैं।आरक्षित कोच में यात्रा के दौरान पहचान पत्र दिखाने का नियम पहले से लागू है। कई दिव्यांग यात्री प्रमाणपत्र न होने के कारण सामान्य टिकट से विशेष कोच में यात्रा करते हैं, जिनका रेलवे के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता। वहीं, दिव्यांग काउंटर से रियायती टिकट लेने वालों का रिकॉर्ड उपलब्ध रहता है। रेलवे को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि दिव्यांग कोच में सामान्य यात्री यात्रा करते हैं और पकड़े जाने पर प्रमाणपत्र के बजाय दिव्यांग होने का दावा करते हैं। अनाधिकार यात्रा रोकने और वास्तविक दिव्यांग यात्रियों को परेशानी से बचाने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की गई है। बेवजह दिव्यांग कोच में चढ़ने वालों से जुर्माना वसूलने या कानूनी कार्रवाई का प्रावधान पहले से मौजूद है। रेलवे का मानना है कि नई पहचान प्रक्रिया से दिव्यांग यात्रियों के अधिकारों के दुरुपयोग पर अंकुश लगेगा और सुरक्षा व्यवस्था और सख्त होगी।

चार ट्रेनें ओडिशा में लाइन ब्लॉक से रहीं रद्द

जमशेदपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल के ओडिशा क्षेत्र में लाइन ब्लॉक के कारण टाटानगर की चार ट्रेनों का परिचालन मंगलवार को रद्द रहा। इसमें हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस अप-डाउन शामिल है। ट्रेनों के रद्द होने से झारखंड, बंगाल और ओडिशा के सैकड़ों ग्रामीण यात्रियों को आवागमन में परेशानी हुई। कांसबहल में लाइन ब्लॉक के कारण टाटानगर-इतवारी एक्सप्रेस, टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस और टाटानगर-हटिया एक्सप्रेस को रद्द करने का आदेश दक्षिण पूर्व जोन से पहले ही जारी किया गया था।

कदमा के विजया हेरिटेज में बच्चे को लेकर फिर विवाद

जमशेदपुर। कदमा विजया हेरिटेज में बच्चे को लेकर एक बार फिर विवाद सामने आया है। मंगलवार दोपहर बच्चे को लेने पहुंची पुलिस और बच्चे के पिता की अधिवक्ता शिवांगी मिश्रा के बीच बहस हो गई। शिवांगी ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और बिना किसी आदेश या नोटिस के पुलिस बच्चे को नहीं ले जा सकती।

जानकारी के अनुसार, कदमा निवासी आनंद प्रसाद और उनकी पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा है। इस बीच आनंद प्रसाद गाजियाबाद से अपने बच्चे को लेकर जमशेदपुर पहुंचे थे। बच्चे के शहर पहुंचने के बाद उसकी मां ने इसको लेकर आपत्ति जताई और विवाद शुरू हो गया। अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि पुलिस उनके मुवक्किल को परेशान कर रही है। बच्चे की अभिरक्षा को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद न्यायालय तक पहुंच चुका है। इधर मामले को लेकर देर रात पुलिस की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि पुलिस ने नाबालिग बच्चे और उसके पिता से जुड़े मामले में पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेश के तहत कार्रवाई की। आदेश के अनुसार बच्चे और उसके पिता को बुधवार कोरांची हाईकोर्ट में पेश किया जाना है।

शहर 30s

चाकुलिया में एसजी एग्रो राइस मिल में तोड़ फोड़ करता हाथी। ● हिन्दुस्तान

राइस मिल में हाथी ने की तोड़फोड़

चाकुलिया। चाकुलिया नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 में दिघी के पास स्थित एसजी एग्रो राइस मिल में जंगली हाथी कई दिनों से भारी उपद्रव मचा रहे हैं। राइस मिल में हाथी तोड़फोड़ कर भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। मंगलवार को भी एक हाथी राइस मिल में घुस आया। हाथी ने राइस मिल में स्थित गोदाम के गेट को तोड़ दिया और चावल खाया। राइस मिल के मालिक अविनाश सुरेखा ने बताया कि जंगली हाथियों ने पिछले कई दिनों से राइस मिल में घुसकर भारी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने बताया कि सोमवार की रात में भी एक हाथी ने तोड़फोड़ की थी।

तेज रफ्तार बाइक ने महिला को मारी टक्कर, केस

जमशेदपुर। कदमा उलियान के शीतला मंदिर के पास तेज रफ्तार बाइक ने महिला को टक्कर मार दी। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। घटना 15 अगस्त की सुबह करीब 11.30 बजे की है। इस मामले में कदमा थाने में केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। रामजनमनगर काली मंदिर के पास रहने वाले कंचन वर्मा ने पुलिस को बताया कि उनकी 58 वर्षीय मां दमयन्ती देवी उलियान शीतल मंदिर के पास टेंपो से उतर रही थीं।

गोलमुरी में डिवाइडर से टकराया अनियंत्रित ट्रक

जमशेदपुर। गोलमुरी के आकाशदीप प्लाजा के पास मंगलवार तड़के एक ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराया। इस दौरान ट्रक डिवाइडर पर चढ़ गया। सूचना पर पुलिस पहुंची और ट्रक को जब्त कर थाना ले गई। हालांकि इस घटना में किसी को चोट लगने की सूचना नहीं है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस जगह घटना हुई, वहां स्ट्रीट लाइट नहीं है और न ही डिवाइडर पर रेडियम लगा है। इसके पूर्व भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं।

बिष्टूपुर में लॉटरी का अवैध कारोबार फिर शुरू

जमशेदपुर। बिष्टूपुर बाजार में एक बार फिर लॉटरी का अवैध कारोबार शुरू हो गया है। बाजार में पांच से छह काउंटर संचालित किए जा रहे हैं, जहां लॉटरी के साथ जुए का कारोबार भी चलाया जा रहा है। पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए अब मोबाइल के माध्यम से लॉटरी का संचालन किया जा रहा है। एसएसपी डॉ. एहतेशाम वकारिब ने पदभार ग्रहण करने के बाद लॉटरी, जुआ और मटका कारोबारियों को सख्त चेतावनी दी थी।

शराब दुकान से चोरी में दो पूर्व कर्मचारी हिरासत में

जमशेदपुर। सिदगोड़ा के जाहेरटोला स्थित दुकान नंबर-2 में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है। दोनों दुकान के पूर्व कर्मचारी बताए जा रहे हैं। पुलिस को आशंका है कि चोरी की वारदात में उनकी मिलीभगत हो सकती है। पुलिस ने हिरासत में लिए गए दोनों लोगों के नाम का खुलासा नहीं किया है। पूछताछ के दौरान पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि चोरी की योजना कैसे बनाई गई और इसमें अन्य कोई व्यक्ति भी शामिल था या नहीं।

चाकुलिया नई लाइन को वन विभाग की बैठक आज

जमशेदपुर। चाकुलिया-बुरामारा 59.96 किमी रेलवे लाइन के लिए जमीन को लेकर झारखंड वन विभाग की प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी बुधवार को बैठक करेगी, ताकि नई लाइन के लिए जमीन हस्तांतरण की कार्रवाई जल्द हो सके। सूचना के अनुसार, वन विभाग की बैठक में झारखंड की 10 परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराने पर भी चर्चा होगी। इसके लिए 11 वन पदाधिकारियों की टीम बनी है। नई लाइन का शिलान्यास राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था।

एनडीआरएफ को नहीं मिला करतार सिंह का शव

जमशेदपुर। साकची स्वर्णरेखा घाट से नदी में कूदे टेल्को निवासी वृद्ध करतार सिंह की तलाश के लिए मंगलवार को एनडीआरएफ की टीम शहर पहुंची। टीम ने शहर के मुख्य घाटों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। हालांकि इस दौरान शव नहीं मिला। चार दिन पहले करतार सिंह ने स्वर्णरेखा नदी में छलांग लगा दी थी। पुलिस ने खोजबीन की पर काफी तलाश के बाद भी वृद्ध को नहीं खोज पाई। परिजनों ने डीसी से शव खोजने की गुहार लगाई थी।

कार से ले जाकर जबरन एग्रीमेंट कराने का आरोप

जमशेदपुर। सोनारी निवासी अशोक कुमार सिंह के खिलाफ भूपेन्द्र सिंह ने एसएसपी कार्यालय में लिखित शिकायत देकर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि वर्ष 2024 से वह और उसका परिवार दहशत में जी रहा है। उसने आरोप लगाया कि जमीन को लेकर उसे, उसकी पत्नी और बेटे को बंदूक के बल पर कार से ले जाकर जबरन एग्रीमेंट कराया गया।

पोटका : फर्जी वंशावली में कार्रवाई की मांग

पोटका। प्रखंड की गंगाडीह पंचायत के मुखिया कार्तिक मुर्मू के नाम की फर्जी वंशावली बनाकर जमीन बिक्री का मामला तूल पकड़ लिया है। इस संबंध में मुखिया संघ पोटका का एक प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष पानो सरदार के नेतृत्व में मंगलवार को विधायक संजीव सरदार व उपायुक्त राजीव रंजन से मिला। इसके साथ हस्ताक्षरित ज्ञापन सौंपकर मामले में दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग रखी।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

ROSARB राँची
तृतीय तल, एल एम स्क्वायर, सुजाता चौक, मेन रोड, राँची - 834001, झारखंड | मो. नंबर 7542032124

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए विक्रय सूचना, परिशिष्ट-IV-A [नियम 8(6) के प्रावधान देखें]

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 संगठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम- 8(6) के अंतर्गत अचल संपत्तियों के विक्रय का ई-नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्द्वारा जन साधारण को सामान्यतः एवं ऋणी(यों), बंधककर्ता(ों) तथा जमानतदारों को विशेष तौर पर सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, प्रतिभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्नवर्णित बंधक / प्रभारित अचल संपत्ति प्रतिभूत ऋणदाता के कब्जे में है, जिसका **"जहाँ है, जैसी है, जो कुछ भी है"** के आधार पर निम्नवर्णित बकाया राशि की वसूली के लिए विक्रय करने का निर्णय लिया गया है। ऋणकर्ताओं / बंधककर्ता / जमानतदार / सुरक्षित संपत्ति / बकाया राशि / आरक्षित मूल्य / ई-नीलामी तिथि एवं समय, ईएमडी और बोली वृद्धि राशि का विवरण निम्नवर्णित है :

क्र. सं.	ऋणी/ बंधककर्ता/ जमानतदार का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण, जिसमें ज्ञात अदिभार (यदि कोई हो) भी शामिल है	कुल बकाया राशि/ ई-नीलामी की तिथि/ ई-नीलामी का समय	आरक्षित मुल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि	कब्जे की स्थिति (रचनात्मक/भौतिक) / सम्पत्ति निरीक्षण तिथि एवं समय
01	**मेसर्स एकलव्य एंटरप्राइज़ेज़** **प्रोपराइटर: श्री राकेश कुमार सिंह,** मकान सं. 5, जनरल ऑफिस रोड, बिरला मंदिर कॉम्प्लेक्स, न्यू केबल टाउन, गोलमुरी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर-831003 **श्री राकेश कुमार सिंह,** नारायण कुटीर, धोबी घाट के पास, मकान सं. 57, रोड सं. 03, कदमा, जमशेदपुर-831005 **श्रीमती श्वेता सिंह,** पति - श्री राकेश कुमार सिंह, मकान सं. 5, जनरल ऑफिस रोड, बिरला मंदिर कॉम्प्लेक्स, न्यू केबल टाउन, गोलमुरी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर-831003	आवासीय भूमि का साम्यिक बंधक, जो मौजा खकरीपारा, सर्वे थाना नं. 1193, हल्का III, थाना गोविंदपुर, नया खाता नं. 04, नए प्लॉट नं. 452 के एक भाग के अंतर्गत, सब-प्लॉट नं. RC-60-I में स्थित, क्षेत्रफल 60 फीट × 30 फीट = 1,800 वर्ग फीट अथवा 4.12 डिसमिल है, जिला उप-निबंधन कार्यालय, जमशेदपुर, जिला पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत स्थित है। उक्त संपत्ति श्रीमती श्वेता सिंह, पति श्री राकेश कुमार सिंह की है। **सीमाएँ :** उत्तर: सब-प्लॉट नं. RC-75-J, दक्षिण: सब-प्लॉट नं. RC-75-H, पूर्व: सब-प्लॉट नं. RB-10, पश्चिम: 20 फीट चौड़ी सड़क	₹ 68,74,608 + दिनांक 01.02.2024 से मांग सूचना के अनुसार अप्रयुक्त ब्याज एवं अन्य प्रभार सहित देय होगा। **08.09.2026 अपराह्न 02:00 से अपराह्न 06:00 बजे तक**	रु. 24,30,000/- / रु. 2,43,000/- / रु. 10,000/-	**सांकेतिक कब्जा** **01.09.2026 से 07.09.2026 पूर्वाह्न 11:00 से अपराह्न 03:00 बजे तक**
02	**श्रीमती प्रेमलता कुमारी एवं श्री दयानंद प्रसाद,** पिता - श्री सूर्यदेव प्रसाद, क्वार्टर सं. 55/2/3, G.H. कॉलोनी, छोटा गोविंदपुर, जमशेदपुर-831015 तथा शगुन पैलेस, फ्लैट नं. 14/5, रोड नं. 1, न्यू कासीडीह बागान एरिया, साकची, कासीडीह दुर्गा पूजा मैदान, जमशेदपुर- 831001 तथा फ्लैट सं. A-3, बसंत द्वार, देवनगर, साकची, जमशेदपुर- 831001.	आवासीय फ्लैट सं. A-3 का साम्यिक बंधक, जो भवन "बसंत द्वार, देवनगर" के अपर ग्राउंड फ्लोर पर स्थित है, जिसका सुपर बिल्ट-अप क्षेत्रफल 555 वर्ग फीट है, साथ में एक कार पार्किंग स्थान तथा रैयती गृहस्थ भूमि में 100 वर्ग फीट क्षेत्रफल के अविभाजित आनुपातिक हिस्से पर अधिकार सहित, जो पुराने प्लॉट नं. 2107, पुराने खाता नं. 132 में दर्ज है तथा वर्तमान सर्वे प्लॉट नं. 248/3880 एवं 248/3879 के अनुरूप है, जो नए खाता नं. 125 एवं 81 में दर्ज है। उक्त संपत्ति मौजा-साकची, पोस्ट एवं थाना-साकची, थाना नं. 1153, वार्ड नं. 7 (जे.एन.ए.सी.), प्रखंड एवं शहर-जमशेदपुर, परगना-धालभूम, जिला-पूर्वी सिंहभूम, झारखंड में स्थित है। **सीमाएँ :** उत्तर: 12 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण: गली, पूर्व: फ्लैट नं. A-2, पश्चिम: 16 फीट चौड़ी सड़क	₹ 29,85,836.00 + दिनांक 30.04.2024 से मांग सूचना के अनुसार अप्रयुक्त ब्याज एवं अन्य प्रभार सहित देय होगा। **08.09.2026 अपराह्न 02:00 से अपराह्न 06:00 बजे तक**	रु. 12,48,000/- / रु. 1,24,800/- / रु. 10,000/-	**सांकेतिक कब्जा** **01.09.2026 से 07.09.2026 पूर्वाह्न 11:00 से अपराह्न 03:00 बजे तक**
03	**मेसर्स कृतिका एंटरप्राइजेज** **पार्टनर : श्री उदय शंकर प्रसाद, श्री अमरनाथ सिंह, श्री सुरेश कुमार शर्मा एवं श्रीमती रीता गुप्ता,** 3/B, न्यू सुभाष कॉलोनी, डिमना रोड, मानगो, जमशेदपुर- 831012 **श्री उदय शंकर प्रसाद (पार्टनर एवं जमानतदार),** 3/B, न्यू सुभाष कॉलोनी, डिमना रोड, मानगो, जमशेदपुर- 831012 **श्रीमती रीता गुप्ता, पति - श्री उदय शंकर प्रसाद (पार्टनर एवं जमानतदार),** 3/B, न्यू सुभाष कॉलोनी, डिमना रोड, मानगो, जमशेदपुर- 831012, **श्री अमरनाथ सिंह (पार्टनर एवं जमानतदार),** B-6, F4C, मून सिटी, डिमना रोड, मानगो, जमशेदपुर-831012, **श्रीमती मीरा सिंह (जमानतदार),** पति - श्री अमरनाथ सिंह, B-6, F4C, मून सिटी, डिमना रोड, मानगो, जमशेदपुर- 831012, **श्री सुरेश कुमार शर्मा (पार्टनर एवं जमानतदार),** पिता - श्री अवतार शर्मा, लाइन नं. 3/C, सुभाष कॉलोनी, डिमना रोड, मानगो, जमशेदपुर- 831012, **श्रीमती रेणु शर्मा (जमानतदार),** पति - श्री सुरेश कुमार शर्मा, लाइन नं. 3/C, सुभाष कॉलोनी, डिमना रोड, मानगो, जमशेदपुर-831012	मेसर्स कृतिका एंटरप्राइजेज के नाम पर बिक्री विलेख संख्या 6347 दिनांक 04.11.2011 द्वारा दर्ज भूमि एवं उस पर निर्मित संरचना सहित संपूर्ण संपत्ति का साम्यिक बंधक, जो एन.एच.-33 पर स्थित, मौजा-आसनबनी, थाना-चांडिल, थाना नं. 325, हल्का नं. 2, खाता नं. 354, प्लॉट नं. 1865/A, क्षेत्रफल 71.50 डिसमिल तथा प्लॉट नं. 2024/A, क्षेत्रफल 11.00 डिसमिल, जिला सरायकेला-खरसावाँ में स्थित है। **सीमाएँ :** उत्तर: एन.एच.-33, दक्षिण: ठाकुर लाल उराँव, पूर्व: विक्रेता निज, पश्चिम: प्रदेश	₹ 4,67,78,782.62 + दिनांक 29.06.2016 से मांग सूचना के अनुसार अप्रयुक्त ब्याज एवं अन्य प्रभार सहित देय होगा। **08.09.2026 अपराह्न 02:00 से अपराह्न 06:00 बजे तक**	रु. 1,44,75,000/- / रु. 14,47,500/- / रु. 10,000/-	**सांकेतिक कब्जा** **01.09.2026 से 07.09.2026 पूर्वाह्न 11:00 से अपराह्न 03:00 बजे तक**
04	**मेसर्स श्री श्याम ट्रेडर्स** **प्रोपराइटर: श्रीमती किरण ठक्कर,** फ्लैट सं. B1-2, आउटर सर्किल रोड, जय प्रभा कॉम्प्लेक्स, कदमा, जमशेदपुर- 831005 **श्रीमती किरण ठक्कर** फ्लैट सं. B1-2, आउटर सर्किल रोड, जय प्रभा कॉम्प्लेक्स, कदमा, जमशेदपुर- 831005	फ्लैट नं. B1/2 का साम्यिक बंधक, जो ग्राउंड फ्लोर, जय प्रभा कॉम्प्लेक्स, कदमा, जो श्रीमती किरण ठक्कर के नाम पर है, जिसका क्षेत्रफल 1,250 वर्ग फीट है। उक्त फ्लैट लीज डीड नं. 5114 दिनांक 25.07.2005 के अंतर्गत ग्राउंड फ्लोर पर स्थित है तथा आर.एस. प्लॉट नं. 1515, आर.एस. खाता नं. 6 के एक भाग में स्थित है, जो वर्तमान नया प्लॉट नं. 2715, 2716, 2718, 2719, 2720 एवं 2721 के अनुरूप है तथा नए खाता नं. 216, मौजा-कदमा, वार्ड नं. 2, जे.एन.ए.सी., थाना-कदमा, जमशेदपुर में दर्ज है।उक्त संपत्ति सोसाइटी लीज डीड नं. 5114 दिनांक 25.07.2005 के अंतर्गत है।**सीमाएँ :** उत्तर: सड़क, दक्षिण: सोसाइटी का परिसर, पूर्व: फ्लैट नं. B-2/1, पश्चिम: फ्लैट नं. B-1/1	₹ 51,98,316.01 + दिनांक 01.04.2021 से मांग सूचना के अनुसार अप्रयुक्त ब्याज एवं अन्य प्रभार सहित देय होगा। **08.09.2026 अपराह्न 02:00 से अपराह्न 06:00 बजे तक**	रु. 56,25,000/- / रु. 5,62,500/- / रु. 10,000/-	**सांकेतिक कब्जा** **01.09.2026 से 07.09.2026 पूर्वाह्न 11:00 से अपराह्न 03:00 बजे तक**
05	**मेसर्स संचार नेटवर्क** **प्रोप्राइटर: श्री राकेश कुमार गुप्ता,** द्वितीय तल, गौरव टॉवर, मानगो चौक, मानगो, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम - 831012 **श्री राकेश कुमार गुप्ता (प्रोप्राइटर)** 58C, टीचर्स कॉलोनी, डिमना रोड, मानगो, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम - 831012 **श्रीमती भागीरथी देवी,** पति - स्वर्गीय सूरज प्रसाद गुप्ता, 58C, टीचर्स कॉलोनी, डिमना रोड, मानगो, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम - 831012	भूमि एवं भवन का समतुल्य बंधक, जो कि पुराने प्लॉट संख्या 156, पुराना खाता संख्या 7, प्लॉट संख्या 2339, खाता संख्या 437, थाना संख्या 1642, वार्ड संख्या 10 में स्थित है, जिसमें कुल 4.95 डिसमिल में से 2.52 डिसमिल (0-3-4 धुर) भूमि सम्मिलित है, मौजा - मानगो, टीचर्स कॉलोनी, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर में श्रीमती भागीरथी देवी, पति - सूरज प्रसाद गुप्ता के नाम पर अवस्थित है। **सीमाएँ (वास्तविक) :** उत्तर - विक्रेता निज (उसी भूमि का शेष विक्रय भाग), दक्षिण - डी. गौड़, पूर्व - 12 फीट रोड, पश्चिम - बंगाली बाबू	₹ 2,05,85,232.42 + दिनांक 28.09.2021 से मांग सूचना के अनुसार अप्रयुक्त ब्याज एवं अन्य प्रभार सहित देय होगा। **08.09.2026 अपराह्न 02:00 से अपराह्न 06:00 बजे तक**	रु. 33,33,000/- / रु. 3,33,300/- / रु. 10,000/-	**सांकेतिक कब्जा** **01.09.2026 से 07.09.2026 पूर्वाह्न 11:00 से अपराह्न 03:00 बजे तक**
06	**1. मेसर्स एरियाना पावर इन्फ्रा** 119, अशियाना ट्रेड सेंटर, प्रथम तल, आदित्यपुर, जमशेदपुर, जिला- पूर्वी सिंहभूम - 831013, **साथ ही यहाँ भी:** मेसर्स एरियाना पावर इन्फ्रा, प्लॉट सं. 780 एवं 781, ग्राम- सतापुरी, पोस्ट एवं थाना- तिरिंग, जिला- मयूरभंज - 757053 **2. श्री सुशील कुमार अग्रवाल (पार्टनर),** पिता - श्री बुध लाल अग्रवाल, डुप्लेक्स सं. 26, फेज-1, विजया हेरिटेज, अनिल सुर पथ, उलियान, कदमा, जमशेदपुर, जिला- पूर्वी सिंहभूम - 831005 **3. श्री चंदन कुमार साहू (पार्टनर),** पिता - श्री नेपाल चंद्र साहू, टिएरा F-1604, लोढ़ा स्प्लेंड्रा, घोड़बंदर रोड, भायेंद्रपाड़ा, जिला- ठाणे (पश्चिम) - 400615, महाराष्ट्र, **4. श्री राजेश कुमार यादव (पार्टनर),** पिता - श्री रंगीला यादव, बाजारसाही, पोस्ट - बहालदा, जिला- मयूरभंज - 757046, **5. श्री सर्वेश्वर मोहंता (पार्टनर),** पिता - श्री लक्ष्मीधर मोहंता, ग्राम- बैंकाटी, पोस्ट - उक्रम, कुमुदासोल, बदामपहाड़, जिला- मयूरभंज - 757046 ओडिशा, **6. श्री हरिलाल साहू,** पिता - स्वर्गीय गदाधर साहू, बाजारसाही, बहालदा, जिला- मयूरभंज - 757046 ओडिशा, **7. श्री नेपाल चंद्र साहू,** पिता - स्वर्गीय गदाधर साहू, बाजारसाही, बहालदा, जिला- मयूरभंज - 757046, ओडिशा	**1.** फैक्ट्री की भूमि एवं भवन का समतामूलक बंधक, जो मौजा- सतापुरी, थाना- तिरिंग, थाना सं.- 27, तहसील- तिरिंग, तहसील सं.- 27, जिला उप-पंजीयक कार्यालय बहालदा के अधीन, जिला- मयूरभंज, ओडिशा, खाता सं. 55, प्लॉट सं. 780 (रकबा- 44 डिसमिल) एवं प्लॉट सं. 781 (रकबा- 44 डिसमिल), कुल रकबा 88 डिसमिल पर स्थित है तथा मेसर्स एरियाना पावर इन्फ्रा के नाम दर्ज है। **चौहद्दी :** उत्तर: सड़क, दक्षिण: नाला, पूर्व: सड़क, पश्चिम: सड़क **2.** भूमि का समतामूलक बंधक, जो मौजा- बागाडेगा (बहालदा), थाना- बहालदा, थाना सं.- 08, जिला- मयूरभंज, ओडिशा, प्लॉट सं. 3774/3784, खाता सं. 585/487, रकबा 2 डिसमिल पर स्थित है तथा श्री नेपाल चन्द्र साहू, पिता- स्वर्गीय गदाधर साहू एवं श्री हरिलाल साहू, पिता- स्वर्गीय गदाधर साहू के नाम दर्ज है। **चौहद्दी :** उत्तर: सड़क, दक्षिण: गोचर भूमि, पूर्व: आनंद साहू, पश्चिम: सरकारी भूमि	₹ 1,59,93,125.21 + दिनांक 01.04.2021 से मांग सूचना के अनुसार अप्रयुक्त ब्याज एवं अन्य प्रभार सहित देय होगा। **08.09.2026 अपराह्न 02:00 से अपराह्न 06:00 बजे तक**	संपत्ति 01 हेतु रु. 64,80,000/- / रु. 6,48,000/- / रु. 10,000/- संपत्ति 02 हेतु रु. 1,17,000/- / रु. 11,700/- / रु. 10,000/-	**सांकेतिक कब्जा** **01.09.2026 से 07.09.2026 पूर्वाह्न 11:00 से अपराह्न 03:00 बजे तक**

बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए, कृपया वेबसाइट लिंक **https://www.bankofbaroda.in/e-auction** एवं ऑनलाइन ऑक्शन पोर्टल **https://baanknet.com** देखें।
इसके अलावा संभावित बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी से मोबाइल नंबर **7542032124** पर संपर्क कर सकते हैं।

स्थान : राँची
दिनांक: 18.08.2026
विवाद/ त्रुटि की स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा।
ह०/ मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी
बैंक ऑफ बड़ौदा, ROSARB राँची

बहरागोड़ा : ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने को उमड़ा हुजूम

बहरागोड़ा। पूर्वी सिंहभूम जिला परिवहन शाखा के तत्वावधान में मंगलवार को बहरागोड़ा प्रखंड क्षेत्र की खंडामौदा पंचायत भवन में प्रखंड व पंचायत स्तरीय ड्राइविंग लाइसेंस कैंप का आयोजन किया गया। मंगलवार की सुबह 6 बजे से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए अभ्यर्थियों का आना शुरू हो गया था। शिविर 10 बजे से शाम 4 बजे तक लगा। इस दौरान 200 ऐसे अभ्यर्थियों को लाइसेंस व 150 को लर्निंग लाइसेंस दिया गया। मालूम हो कि कैंप में वैसे 200 लोगों को लाइसेंस दिया गया, जिन्होंने पूर्व में आयोजित शिविर में आवेदन दिया था। कैंप का उद्घाटन मुख्य अतिथि मुखिया पंचानन मुंडा, जिला परिवहन पदाधिकारी दिलीप कुमार ने संयुक्त रूप से किया।

कोर्ट नोटिस

ब- अदालत
श्री भूपेश चंद्र समद
सिविल जज सीनियर डिवीजन XVIII, रांची
मूल वाद संख्या 229/2026
संदीप पाटिल ..... वादी।
बनाम्
सपना सोना ..... प्रतिवादी।

नोटिस बनाम

Sapna Sona, Daughter of Late Sudama Sona & Lakshmi Sona, H. No. 087, Lohiya Path Bhatiya Basti, P.O. & P.S. Kadma, Jamshedpur, East Singhbhum, Jharkhand

बजरिये इस नोटिस के द्वारा आपलोगों को सूचित किया जाता है कि वादीगण ने आपलोगों के विरुद्ध इस न्यायालय में उपरोक्त मूल वाद दाखिल किया है जो श्री भूपेश चंद्र समद सिविल जज सीनियर डिवीजन-XVIII, रांची में लंबित है, जिसके सुनवाई तिथि 27.08.2026 समय 10:30 बजे मुकर्रर है। यदि आपको कोई आपति हो तो निश्चित तिथि को आप खुद या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अदालत में हाजिर होकर मुकदमें की समुचित पैरवी करें। अन्यथा आपके गैर हाजरी में मुकदमें की सुनवाई एकतरफा कर दी जाएगी। इसे सख्त ताकिद जानें। आज दिनांक 18.08.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर से जारी हैं।

ह०/- श्री भूपेश चंद्र समद
सिविल जज सीनियर डिवीजन-XVIII, रांची

COURT NOTICE

BEFORE THE DISTRICT CONSUMER DISPUTE REDRESSAL FORUM, WEST SINGHBHUM, CHAIBASA CONSUMER COMPLAINT NO. 22/2026
Dr. Deepak Kr. Sinha & Anr. ..... Complainants
VR
M/s Green Vatika Constructions Pvt. Ltd. ..... Opp. Parties

TO,
1. M/S Green Vatika Constructions Private Limited, having it office at 5th Floor, Umesh Tower, opposite of AIADA Bhawan, Main Road, Adityapur, District- Saraikela-Kharswan, represented through its Director, Mr. Ajay Agarwal, son of Ramesh Chandra Agarwal, by faith- a Hindu, by occupation- Business, resident of Flat No. 303, Arunoday Apartment, Adityapur, P.O. & P.S. Adityapur, District- Saraikela-Kharswan, having its e-mail ID: marketing@greenvatika.co.in
2. Mr. Ajay Agarwal, son of Ramesh Chandra Agarwal, Director of M/S. Green Vatika Constructions Private Limited, by faith- a Hindu, by occupation- Business, resident of Flat No. 303, Arunoday Apartment, Adityapur, P.O. & P